<u>इरकॉन के कार्यपालकों के रूप में वरिष्ठ प्रबंधन और पूर्णकालीन निदेशकों के लिए आचार संहिता</u>

(1 अप्रैल 2005 से प्रभावी)

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन दल के सदस्य के रूप में मैं एतदद्वारा नीचे प्रस्तुत अनुसार आचार संहिता को लिखित वा भावात्मक रूप से स्वीकार करता हूं और समझता हूं, तथा अधीनस्थों द्वारा भी इसे अपने कार्य में परिलक्षित करने को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी में इन्हें पोषित करता हूं, जिसे निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2005 की अपनी बैठक में विधिवत रूप से स्वीकार किया गया है :-

1. कंपनी के नियम, संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद में मेरे प्राधिकार तथा मुझे प्रदान किए गए प्राधिकारों/प्रत्यायोजित शक्तियों के कार्यक्षेत्र के भीतर व्यावसायिक रूप में अपने दायित्वों का निर्वाहन करने हेतु।

2. कंपनी और इसके स्टेकधारकों के सर्वोत्तम हितों में इरकॉन की नीतियों और प्रणालियों के अनुसार प्रचालन के अपने क्षेत्र में विवेकपूर्ण निर्णय लेने हेतु।

3. लिखित और भावात्मक रूप से देश के लागू सभी कानूनों और उनके अंतर्गत निर्मित नियमों और विनियमों का **आदर करना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना**।

4. अन्य कार्य के कार्यक्षेत्र में इस बात का ध्यान रखना कि कंपनी और इसके कार्मिक ईमानदारी और विधि संगत रूप से कार्य करें।

5. इरकॉन के सर्वोत्तम हित में अपने दायित्वों का निर्वाहन करते समय और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय **नैतिकतापूर्ण, ईमानदारी, न्यायपूर्ण विधिवत ध्यान तथा तत्परता से तथा दल भावना** में कार्य करने हेतु।

6. उस रूप में कार्य करना जो कंपनी और मेरे द्वारा धारित पद **के गौरव व प्रतिष्ठा को सुनिश्चित, अनुरक्षित और संवर्धित करे**।

7. निदेशक के रूप में प्राप्त सूचना की **गोपनीयता को सुनिश्चित करना** और कंपनी द्वारा प्राधिकृत किए जाने या कानून द्वारा यथापेक्षित होने पर ही उसका प्रकटन करना।

8. प्राप्त सूचना का **अनुचित प्रयोग नहीं करना** और व्यक्तिगत लाभ के लिए निदेशक पद का फायदा नहीं उठाना।

9. **व्यक्तिगत हितों का इरकॉन के हितों के साथ टकराव की स्थिति से बचना** और ऐसी किसी गतिविधि में लिप्त न होना जो कंपनी के प्रति निदेशक के रूप में अपने दायित्वों/उत्तरदायित्वों के टकराव में हों।

10. अपने दायित्वों का निर्वाहन करते समय विशेष रूप से कंपनी के लिए सही श्रमशक्ति की भर्ती के क्षेत्र में, पदोन्नति के मामलों में, अपने अधीनस्थों के निष्पादन के मूल्यांकन और उनके विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराने सहित मेरे क्षेत्र में मेरे स्वतंत्र विवेक को बाधिक करने वाले **किसी पूर्वधारण, पूर्वाग्रह, भय या पक्षपात को अनुमति न दे।**